मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2012 (चैत्र 7, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 118 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 112 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने विजयपुर के ववनवाश एवं नितनवास में शा.मा.विद्यालय भवन का निर्माण अपूर्ण होने,
(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य ने ग्वालियर की कोटेश्वर कालोनी के वार्ड 10 में पानी की कमी होने,
(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने रतलाम स्थित होटल उजाला पैलेस के कर्मचारियों से मारपीट करने,
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य ने शिक्षकों को आरक्षण नियमानुसार पदोन्नति न दी जाने,
(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने विदिशा के ग्राम पुनाखेड़ी में मछलीपालन के पट्टाधारक की जगह अवैध कब्जा करने,
(6) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड जिले के ग्राम जामपुरा में मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई न होने तथा
(7) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने पंचायत विभाग के स्टाफ को वेतनमान का लाभ न मिलने
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री के.पी.सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले के पिछोर नगर में पुलिस द्वारा अंत्योदय समिति के ब्लॉक अध्यक्ष के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने उज्जैन एवं इंदौर संभाग में आदिवासियों की भूमि विक्रय के संबंध में भू-राजस्व संहिता का पालन न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, डॉ. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री के.पी. सिंह तथा श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्यगण ने भिण्ड जिले के फूफ थाने की पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री भैयाराम पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिले के तेन्दूखेड़ा में चिकित्सक की लापरवाही से युवक की मौत होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. अध्यक्षीय घोषणा

स्वामी तेजोमयानंद जी के उदबोधन कार्यक्रम विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "आज अपराह्न 1.00 से 2.30 बजे विधान सभा परिसर स्थित ऑडिटोरियम में चिन्मय मिशन के विश्व प्रमुख परम पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी का "विधान सभा देश की प्रभा" विषय पर उदबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माननीय सदस्यों से सादर अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम तथा भोज में उपस्थित होने का कष्ट करें।"

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री रामनिवास रावत

(अपराह्न 1.01 से 3.06 बजे तक अन्तराल)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री जयसिंह मरावी, राज्यमंत्री, राजस्व ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री पारस सकलेचा
(3) श्री के.पी. सिंह
(4) श्री रामलखन सिंह

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयसिंह मरावी, राज्यमंत्री, राजस्व ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि विधेयक, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(4) श्री ब्रजराज सिंह चौहान
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(6) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि विधेयक, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री पारस सकलेचा
(3) श्रीमती साधना स्थापक
(4) श्री रामनिवास रावत

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(2) श्री रामनिवास रावत
(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(4) श्री शरद जैन

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा विधेयक के प्रावधान के विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अपराह्न 4.53 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012 (चैत्र 8, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 27 मार्च, 2012